9 4/3/2013

10885/CR
18-6-13

P.P. Mathur, IAS (Retd.)
Special Rapporteur, NHRC

A-10, Sadhna Enclave,
Ahmedpur, Hoshangabad Road
Bhopal-462026 (MP)
Phone : 09425600142, 0755-2418884
E-mail : ppmathur_48@yahoo.com

14th June, 2013

Sub: Visit of Shri P.P. Mathur, Special Rapporteur, NHRC to Chhattisgarh from 11th June to 13th June 2013.

Dear Dr. Sahu,

I visited Chhattisgarh State from 11th June to 13th June 2013. During this visit I inspected District Jail at Kanker (Bastar) and held discussions with Chief Secretary and other senior officers to review implementation of Forest Rights Act.

During my visit I obtained a report from the State Government on the 17th May 2013 incident at Edsameta (Bijapur district) for which Law Division of NHRC had requested me by their letter dated 20-5-2013 (Case No.463/33/17/2013-AFE/UC). A copy of the same is enclosed (Annexure-I). X Sent to LD.

I also enclose a copy of report on the status of implementation of Forest Rights Act in Chhattisgarh State (Annexure-II).

During discussions with the Chief Secretary at Raipur, I was also apprised of the progress made in respect of review of delay in prosecution and investigation of cases of under trial prisoners in jails of Chhattisgarh. A copy of the relevant information is enclosed (Annexure-III).

I would shortly be sending a detailed Note on the inspection of Kanker Jail.

Enclosures: As above.

With best wishes,

Yours sincerely,

14-06-13
(P.P. Mathur)

To,

Dr. Ashok Sahu,
Secretary General, NHRC,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi - 110 001.

5093/PS(A) 20/6/13

18-6-13

JS(P&A)

DS(A) put up 19/6/13

PRP&P

With reference to X above Annexure-I has been sent to Law Division as it is in response to a direction from that Division. 5. 20/6

Annexure I

10

पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ रायपुर

कमांक पुमु/डीजीपी/पीए/ 964 /2013 दिनांक 13.06.2013

प्रति,

श्री पी.पी.माथुर,
सेवानिवृत आई.ए.एस.,
स्पेशल रिपोर्टियर,
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग,
केम्प – रायपुर ।

विषय– एडसमेटा जिला बीजापुर में पुलिस–नक्सली मुठभेड़ बाबत प्रतिवेदन ।
संदर्भः– आपका ईमेल संदेश दिनांक 7.06.2013.

–::–

कृपया संदर्भित ईमेल संदेश का स्मरण करने का कष्ट करें, । जिसके माध्यम से जिला बीज़ापुर के एडसमेटा में पुलिस–नक्सली मुठभेड़ से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त की गई है, जो मूलतः संलग्न है ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

13.6.2013
(रामनिवास)
पुलिस महानिदेशक
छत्तीसगढ़ रायपुर

गोपनीय

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक : पु0मु0/विआशा/से-2/एम(3082) रायपुर, दिनॉक : 11/06/2013

प्रति,

श्री पी0एन0 तिवारी,
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
अपराध अनुसंधान विभाग,
पु0मु0 नया रायपुर

विषय :- एडसमेटा जिला बीजापुर में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ बाबत् प्रतिवेदन।

संदर्भ :- पत्र क्रं. पुमु./ओएसडी/अअवि/पीए-90/13 दिनांक 11.06.2013.

--00--

कृपया विषयांकित संदर्भित पत्र के माध्यम से चाही गई जानकारी पुलिस अधीक्षक, बीजापुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निम्नानुसार है :-

पीड़िया क्षेत्र जो कि थाना गंगालूर के अंतर्गत आता है, ये नक्सलियों का गढ़ है जहॉ पर भारी संख्या में सशस्त्र नक्सली अत्याधुनिक आटोमेटिक हथियारों के साथ क्षेत्र पर प्रभाव बनाने के लिये उपस्थित रहते हैं तथा विभिन्न घटनाओं को अंजाम देते हैं। पिछले दिनों पीड़िया क्षेत्र में पुलिस एवं सुरक्षा बलों द्वारा मुठभेड़ के पश्चात् भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ एवं अन्य नक्सली सामग्री बरामद की गई थी। पीड़िया क्षेत्र की सर्चिंग हेतु इस विशेष अभियान के लिये केरिपु तथा जिला पुलिस बल के अधिकारियों के द्वारा समुचित ब्रीफिंग देते हुये यह निर्देश दिये गये कि गॉव छोड़ते हुये जंगल के रास्ते से जाऐं ताकि सुरक्षाबलों के मूव्हमेंट की जानकारी नक्सलियों को न मिल पाये। इस हेतु जीपीएस के साथ ट्रैकर एवं रूट चार्ट भी दिये गये ताकि इसमे किसी तरह की चूक न हो। दिनांक 17.05.2013 को 16.00 बजे हमराह स्टॉफ 208 कोबरा बटालियन के डिप्टी कमाण्डेट हरिओम सागर के नेतृत्व में कोबरा 208 के 46 नफर, कोबरा 204 के 49 नफर एवं जिला बल के 57 नफर कुल नफरी 152 के साथ ग्राम पीड़िया की ओर दिनांक 17.05.2013 को 16.00 बजे ब्रीफिंग के उपरांत जंगल के रास्ते पीड़िया की ओर रवाना हुई। लगभग 22.30 बजे ग्राम एड़समेटा के पास के जंगल की ओर पहाड़ी जंगल की तरफ से जब फोर्स मूव कर रहा था तभी एक ओर आग जलती हुई दिखाई दी जिसकी रोशनी में कुछ व्यक्ति दिखाई दिये, जिसमें कुछ सशस्त्र थे। इसे देखते ही संभावित खतरे को भांपते हुये फोर्स ने वहीं पोजिशन ली एवं नक्सलियों की उपस्थिति की संभावना के मद्देनजर घिर न जाये इसलिये पुलिस पार्टी का एक भाग पहाड़ी की ओर धीरे से बढ़कर पोजिशन ले लिया ताकि नक्सली किस ओर हैं इसका सही अंदाजा लग सके। इसी बीच बायीं ओर से अचानक जंगलों की तरफ से हथियारबंद पार्टी पुलिस पार्टी की ओर बढ़ने लगी। उस पार्टी के सदस्य को फोर्स का आभास हुआ जिस पर पुलिस-पुलिस मारो-मारों चिल्लाते हुये उसने फायर कर दिया। उसके बाद नक्सलियों की अंधाधुंध फायरिंग चालू हो गई एवं पुलिस पार्टी को जान का

क्रमशः 2

खतरा उत्पन्न हो गया जिस पर पुलिस पार्टी को आत्मरक्षार्थ गोली चलानी पड़ी और संभवतः उनके एक सदस्य को गोली लगी एवं शेष गोली चलाते हुये ग्रामीणों की आड़ लेते हुये भागे। इतने में दांयी ओर से भी फायर होने लगा। पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई कोबरा के एक जवान ने बताया कि उसके बाजू का जवान देवप्रकाश लगातार फायरिंग का जवाब दे रहा था तभी नक्सलियों की एक गोली उसके सिर पर लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। फायरिंग रूकने पर पैरा बम दागा गया, जिसकी मदद से आसपास के क्षेत्र की सर्चिंग की गई जिसमें घटना स्थल पर एक व्यक्ति मृत पड़ा था जिसके पीठ में पिट्ठू बंधा था और पास में ही एक भरमार बंदूक एवं अन्य सामान पड़ा था। चूंकि जवान गंभीर रूप से घायल था एवं उसे चिकित्सा की तत्काल जरूरत थी तथा पुलिस पार्टी को नक्सलियों से घिर जाने का खतरा था, इसीलिये पीड़िया की ओर न बढ़ते हुये सुरक्षा की दृष्टि से वापस गंगालूर जाने का निर्णय लिया। घटनास्थल से बरामद 01 मृत व्यक्ति का शव, 02 भरमार बंदूक एवं अन्य सामग्री के साथ वापस गंगालूर आ रहे थे कि घायल जवान की मृत्यु हो गई। घटना का प्रार्थी उनि0 सखाराम मण्डावी थाना गंगालूर की रिपोर्ट पर दिनांक 18.05.2013 के 07.00 बजे अपराध क्रं. 14/2013 धारा 147,148,149,302,307,120-बी भादवि. 25,27 आ.ए. कायम किया गया।

घटना में और भी व्यक्ति घायल होने की सूचना दिनांक 18.05.2013 की सुबह 09.00 बजे के आसपास मिलने पर थाना प्रभारी द्वारा एक अन्य पुलिस पार्टी जो चेरपाल से सर्चिंग हेतु निकली हुई थी, को घटना स्थल एडसमेटा की ओर सर्चिंग करने हेतु सूचना दी गई। पार्टियों में जिला बल, केरिपु बल का संयुक्त बल जो लगभग 02.00 बजे दोपहर ग्राम एडसमेटा पहुँचा जहॉ पर घायलों के बारे में पता करने पर उन्हें पता लगा की 07 व्यक्तियों की गोली लगने से मृत्यु हो गई है एवं 04 व्यक्ति घायल हैं। मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिये ग्रामीण शवों को अपने घरों में घटना स्थल से ले गये थे। सुरक्षा बल द्वारा उन्हें समझाईश देकर महिलाओं के विरोध के बाद भी शवों का पोस्टमार्टम कराने हेतु तैयार किया गया व घायलों को पुलिस पार्टी के द्वारा प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। बल द्वारा ग्रामीणों की मदद से मृत व्यक्तियों के शवों को घटना स्थल से देर रात तक अथक प्रयास के बाद गंगालूर में लगभग 04.00 बजे सुबह तक लाया गया। दिनांक 19.05.2013 को सुरक्षाकारणों से कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा शवों की पंचनामा कार्यवाही गंगालूर में करवाई गई। सभी मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम डॉक्टरों की टीम द्वारा किया गया है एवं वीडियोग्राफी की गई है। लगभग शाम 04.00 बजे शवों की पंचनामा कार्यवाही गंगालूर से करवाई गई। लगभग 04.00 बजे शाम शवों को परिजनों को सुपुर्दनामें पर दिया गया व शवों को ग्राम तक भेजने की व्यवस्था की गई।

उक्त घटना की दण्डाधिकारी जॉच हेतु जिला दण्डाधिकारी जिला बीजापुर द्वारा अपने आदेश क्रं. /3406/कले./द0जॉच/2013 बीजापुर दिनांक 18.05.2013 के तहत् श्री बीरेन्द्र पंचभोई अनुविभागीय दण्डाधिकारी बीजापुर को जॉचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। पुलिस महानिदेशक छ.ग. के आदेश क्रं. पु.मु./विआशा./पुअ

क्रमशः 3

7

/2192/13 रायपुर, दिनांक 29.05.2013 के माध्यम से स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है। घटना की स्वतंत्र एवं सभी पहलुओं पर निष्पक्ष जांच हेतु छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रं. एफ 3-4/2013/1-7 नया रायपुर दिनांक 19.05.2013 के तहत् प्रकरण की न्यायिक जांच हेतु मान. न्यायमूर्ति श्री व्ही.के. अग्रवाल, भूतपूर्व अध्यक्ष, छ.ग. उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं अध्यक्ष म.प्र. शुल्क नियामक न्यायाधिकरण, भोपाल की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जॉच आयोग गठित की गई है।

कृपया प्रतिवेदन प्रेषित है।

संलग्न :- 1. एसआईटी गठन आदेश की छायाप्रति।
2. न्यायिक जॉच आदेश की छायाप्रति।

11/6/13

पुलिस अधीक्षक,
विशेष आसूचना शाखा,
पुलिस मुख्यालय, रायपुर

6

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
नया रायपुर 492002

// आदेश //

दिनांक 17-18 मई, 2013 को जिला बीजापुर के थाना गंगालूर के ग्राम एड़समेटा के नजदीक सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के मध्य घटित मुठभेड़ की घटना की रिपोर्ट पर थाना गंगालूर में अपराध क्रमांक 14/2013 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120-बी भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट कायम किया गया। उक्त घटना की गंभीरता के मद्देनजर घटना की जॉच हेतु बस्तर रेंज एवं सीआईडी के अधिकारियों की संयुक्त रूप से निम्नानुसार स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एस.आई.टी.) गठित किया जाता है-

1. श्री अभिषेक वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक, जिला-जगदलपुर
2. श्री तीजराम साहू, निरीक्षक, अअवि, पु0मु0 रायपुर
3. दो प्रधान आरक्षक, जिला बल, बीजापुर

प्रकरण की विवेचना की प्रगति प्रतिवेदन से पुलिस महानिरीक्षक (अअवि) एवं उप पुलिस महानिरीक्षक (विआशा) को प्रत्येक 15-15 दिनों में प्रतिवेदन से अवगत करावें ।

28.5.2013
(रामनिवास)
पुलिस महानिदेशक
छत्तीसगढ़

क्रमांक-पुमु/वि.आ.शा./पुअ/ 2192 /13 रायपुर दिनांक 29/05/13

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अति0पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, पुमु रायपुर
2. अति0पुलिस महानिदेशक, नक्सल अभियान/एसटीएफ/छसबल, पुमु रायपुर
3. अति0पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता/विआशा, पु0मु0 रायपुर
4. पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर
5. पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर
6. पुलिस उप महानिरीक्षक, विआशा, पु0मु0 रायपुर
7. पुलिस अधीक्षक, बीजापुर/जगदलपुर
8. श्री अभिषेक वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक, जिला जगदलपुर
9. श्री तीजराम साहू, निरीक्षक, अ.अ.वि. (सीआईडी) पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर
10. निज सहायक, पुलिस महानिदेशक, छ0ग0
11. संबंधित को सूचनार्थ।

28-5-2013
(रामनिवास)
पुलिस महानिदेशक
छत्तीसगढ़

OK

5

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// अधिसूचना //

क्रमांक एफ 3–4/2013/1–7 :: नया रायपुर दिनांक 18.05.2013

चूंकि दिनांक 17–18 मई, 2013 को जिला बीजापुर के थाना गंगालुर के ग्राम एड़समेटा के नजदीक सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के मध्य मुठभेड़ की घटना की सूचना प्राप्त हुई है;

2/ चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि इस घटना से संबंधित सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित विषयों की न्यायिक जांच किया जाना आवश्यक है;

(1) क्या 17–18 मई, 2013 की रात्रि में जिला बीजापुर के थाना गंगालुर के ग्राम एड़समेटा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई?

(2) उक्त घटना कब और किन परिस्थितियों में घटित हुई ?

(3) क्या उक्त घटना में सुरक्षा बलों या नक्सलियों अथवा उनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति मृत या घायल हुआ ?

(4) यदि उक्त घटना में सुरक्षा बलों के सदस्य मृत या घायल हुए हैं तो सुरक्षा बलों के ऐसे सदस्य किन परिस्थितियों में मृत या घायल हुए हैं?

(5) यदि सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति (महिला/पुरुष/बच्चा) मृत या घायल हुआ था, तो ऐसे व्यक्ति किन परिस्थितियों में घटना स्थल पर या उसके आसपास उपस्थित थे ?

(6) क्या गश्त प्रारंभ करने के पूर्व सुरक्षा बलों द्वारा पूर्वोपाय किये गये तथा आवश्यक सावधानियां सुनिश्चित की गई ?

(7) वे कौन सी परिस्थितियां थीं, जिनके कारण सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी ? क्या फायरिंग से बचा जा सकता था ?

(8) भविष्य के लिए सुझाव।"

3/ चूंकि राज्यशासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 3–7/2012/1–7, दिनांक 11.07.2012 द्वारा जिला बीजापुर के ग्राम सारकेगुड़ा और जिला सुकमा के ग्राम सिलगेर एवं चिमली पेंटा में घटित घटना दिनांक 28–29 जून, 2012 की जांच हेतु जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का सं. 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, माननीय न्यायमूर्ति व्ही.के. अग्रवाल, भूतपूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं अध्यक्ष, म.प्र. शुल्क नियामक न्यायाधिकरण, भोपाल की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है, जिसके द्वारा जांच प्रगति पर है, चूंकि वर्तमान घटना भी जिला बीजापुर की है एवं राज्य शासन की यह राय है कि उपर्युक्त सार्वजनिक महत्व के विषयों की जांच शीघ्र कराया जाना आवश्यक है;

4/ अतः जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का सं. 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उपरोक्त लोक महत्व की विशेष जांच पूर्वोक्त अधिसूचना द्वारा गठित जांच आयोग को सौंपता है। आयोग अपनी जांच इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से यथासम्भव 03 माह के भीतर पूरी करेगा तथा शासन को रिपोर्ट सौंपेगा।

5/ जांच के दौरान तकनीकी विषय/बिंदुओं पर आयोग किसी संस्था विशेषज्ञ की सहायता ले सकेगा। आयोग की सचिवालयीन एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में आदेश पृथक से प्रसारित होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
नया रायपुर, दिनांक 19.05.2013

पृ.क्रमांक एफ 3-4/2013/1-7,
प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय नया रायपुर,
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय नया रायपुर
4. माननीय राज्यपाल जी के प्रमुख सचिव, राजभवन छत्तीसगढ़ रायपुर
5. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर
6. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर
7. आयुक्त, बस्तर संभाग, बस्तर,
8. माननीय न्यायमूर्ति व्ही.के. अग्रवाल, भूतपूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं अध्यक्ष म.प्र.शुल्क नियामक अपीलीय न्यायाधिकरण भोपाल, (म.प्र.)
9. कलेक्टर, जिला बीजापुर, छ.ग.
10. पुलिस अधीक्षक, जिला बीजापुर, छ.ग.,
11. आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

12. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजनांदगांव से निवेदन है कि कृपया अधिसूचना असाधारण राजपत्र दिनांक 19.05.2013 में प्रकाशन कर 200 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।

अपर सचिव

Annexure II

3

Review Meeting on Implementation of Scheduled Tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006.
Dated 11-06-2013

1. In Chhattiisgarh State, the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 and Rules 2008 is in effect from 1st January 2008 and amended rules were implemented w.e.f. 6.9.2012.

2. As per provisions of CG Panchayat Raj Act & PESA, Gram Sabhas were organised at village level to reconstitute Village Forest Rights Committees in the month of February 2013 in the state. Second round of implementation of the Act is in progress according to the calender prescribed by the SLMC

3. The State Level Monitoring Committee(SLMC) headed by the Chief Secretary has been constituted to monitor the progress of implementation quarterly at state level. In order to speed up the execution a Sub Committee headed by the Chief Conservator of Forest has also been set up.

4. So far 14871 Forest Rights Committees have been constituted in the state. while Gram Sabhas could not be held in 427 villages.

5. 7,07,097 application for forest Rights had been received in the state. Till now 239296 Forest Rights Titles have been disbributed covering 225041 Ha of land. 410766 applications have been rejected and 37035 applications are in process. District wise detail is enclosed.

6. Under Community Forest Rights, out of 10581 applications recieved 5531 forest Rights Titles have been distributed. 4230 applications were rejected and 832 application are under process.

7. District collectors have been asked to take the rejected applications treating them as appeal cases. Hon' Governor has authorized the Sub-Divisional Committee exercising his powers under 5th Schedule of Constitution of India to take up suo motu review of rejected cases where they find some substance to do so.

8. As per Recommendations of the state level Sub Committee four master trainers from each District were trained who in turn trained the Officers and the members of the village forest committees

9. In order to ensure widespread publicity and awarness, 20000 copies of the FRA and amended Rules and 100000 pamphlets were distributed among Officials, Gram Sabhas Village Forest Committees, Public Representatives and Village Panchayats.

10. 91641 Forest Rights title holders were benefitted under different developmental schemes. Land leveling of 27856 Right-holders was taken up under MGNREGA. 61169 were distributed high quality seeds and fertilizers and 510 were provided with Irrigation facilities.

11. 63000 Forest Right Title Holders were allotted " *Indira Awas*", out of which 40000 are under constructions.

12. More than 70% villages have not turned up for any kind of community claim . However there is no restriction for the villagers to claim nistar rights and other developmental uses of forest land permissible under Sec 3 (2) of the Act.

13. So far around 10000 claims of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PTGs) have been approved. All PTGs have been provided some or other benefits under various developmental schemes.

Annexure III

2

छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर.

क्रमांक– /41/दो–गृह/सी–शाखा/2013, रायपुर, दिनांक 13/06/2013

प्रति,

श्री पी0पी0माथुर,
आई0ए0एस0,(से0नि0),
स्पेशल रिपोर्टियर,
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग,
केम्प – रायपुर।

विषयः– राज्य की जेलों में निरूद्ध बंदियों के अभियोजन एवं विचाराधीन प्रकरणों में विम्लब की समीक्षा हेतु गठित स्थाई समिति की जानकारी।

संदर्भः– चर्चा, दिनांक 11 जून, 2013.

.....

श्रीमती निर्मला बुच पूर्व मुख्य सचिव मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में शासन के आदेश क्र. 14/गृह–सी/दो/2012 दिनांक 03.05.2012 के द्वारा राज्य की जेलों में निरूद्ध बंदियों के अभियोजन एवं विचाराधीन प्रकरणों में विम्लब की समीक्षा हेतु गठित स्थाई समिति से संबंधित बैठकों की जानकारी **(परिशिष्ट–एक)** संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार.

13/6/13

(ए0एन0उपाध्याय)
ओ0एस0डी0/सचिव,
गृह विभाग

परिशिष्ट - 1

Review Committe under Chairmanship of Shrimati Nirmala Buch retd. Chief Secaretary, Government of Madhya Pradesh to review the delay in prosecurtion and investigation of Cases of undertrial prisoners in jails of Chhattisgarh.

****

Details of Metings of Committee

Sl.No.	Meeting /Date	Total Case Putup	Recomm-endation	Not Recomm-endation	Sent for next meeting	Not Consideration
1	2nd Meeting 04/05/2012	20	04	04	--	12 (Due to not complete)
2	3rd Meeting 10/05/2012	44	08	35	01	--
3	4th Meeting 21/05/2012	54	25	22	05	02
4	5th Meeting 05/01/2013	58	34	15	09	--
5	6th Meeting 06/05/2013	59	41	12	06	--
Total		**235**	**112**	**88**	**21**	**14**

Note :- The first meeting of Committee was held on Dtd. 3rd May, 2012 and the guidelines of working of Committee was decided. Total 235 Cases reviewed Out of which in 112 Cases it was recommended not to oppose the bail applications. Out of total 112 Cases, undertrials of 13 Cases were granted bail by ther Court and in 10 cases the undertrials were acquitted by the Court.